न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 656/2023

अनवान : –

1. रामकुमार पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी नीमला तहसील नोहर।
2. रणजीत पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी नीमला तहसील नोहर।

– **वादीगण**

बनाम्

1. उदमीराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी नीमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. राधा पुत्री उदमीराम जाति जाट निवासी नीमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 21/12/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 288/250 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 26.8990 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है। कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण से प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उपरोक्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादीया संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ ब0 हि0 ब0 हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 2 जो कि वादीगण की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने पिता व भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है बाद हक त्याग मुताबिक पारिवारिक समझोता रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के ज़माबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 288/250 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 26.8990 है0 भूमि की 1/4 हिस्सा भूमि में से 3.542 हैक्टेयर भूमि पर वादीगण ब0 हि0 ब0 काबिज है तथा शेष भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 यथावत काबिज है। वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:58:13 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादीगण के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिकी किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो कि शामिल मिसल किया। वादीगण ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2072–75 रोही मौजा नीमला खाता संख्या 288/250 प्रदर्श–1, सरंपच ग्राम पंचायत नीमला द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श–2, चित्रप्रति नामान्तरकरण संख्या 250 नीमला प्रदर्श–3 आदि प्रदर्शित करवायें।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक होने के कारण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहिब हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 2 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादीगण के वाद के संबंध में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खसरा संख्या 288/250 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 26.8990 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत सरपंच ग्राम पंचायत नीमला द्वारा तस्दीक सदस्य

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:58:13 IST
Reason: SelfAttested

प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 288/250 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 26.8990 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा भूमि में से 3.542 है0 भूमि वादीगण को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 27/9/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:58:13 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 656 / 2023

अनवान : –

1. रामकुमार पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी नीमला तहसील नोहर।
2. रणजीत पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी नीमला तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. उदमीराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी नीमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. राधा पुत्री उदमीराम जाति जाट निवासी नीमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 656 सन 2023 निर्णय दिनांक 27.09.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 288 / 250 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 26. 8990 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1 / 4 हिस्सा भूमि में से 3.542 है0 भूमि वादीगण को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/9/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:58:13 IST
Reason: SelfAttested